**उच्च न्यायालय के निर्देश के लिए आवेदन पत्र**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

श्रीमान जी;

प्रतिवादियों की ओर से आवेदन पत्र निम्नलिखित रूप में अति सादर पूर्वक निवेदन करता है -

1. यह कि वाद दोनों पक्षकारो के व्यतिक्रम में तारीख .........को व्यतिक्रम में खारिज कर दिया गया।
2. यह कि वाद के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पत्र वादी के पैरोकार द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसको परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन विलम्ब के दोषमार्जन के लिए एक आवेदन पत्र के बिना समय के परे प्रकट तौर पर तारीख...................को सि. प्र. सं. के आदेश 9 नियम 4 के अधीन लिखित रूप से एक विधिमान्य मुख्तारनामे द्वारा सम्यक् रूप से नहीं प्राधिकृत किया जाता ऐसे रूप मे आवेदन पत्र प्राधिकार के बिना, अवैधानिक एवम् कालवर्जित है। यह ऐसे रूप में आवेदन पत्र को खारिज करना विद्वान् न्यायालय पर विधि के अधीन पदाधारी था।
3. यह कि......प्रत्यावर्तन हेतु उपरोक्त आवेदन पत्र का निपटाने के लिए नियत किया गया और कथित आवेदन पत्र का एक उत्तर इस तारीख पर न्यायालय में दाखिल किये जाने के समय के पूर्व वादी के अधिवक्ता को उसकी तामील के पश्चात् विद्वान न्यायालय ने प्रतिवादी की सुनवाई किये बिना आवेदन-पत्र का निस्तारण कर दिया तथा वादी ने भी आवेदन पर जोर डालने के लिए हाजिर नहीं हुआ आवेदन पत्र के आदेश दोनों पक्षकारों की अनुपस्थिति में हुआ।
4. यह कि प्रतिवादी के अधिवक्ता के आवेदन पर उसको सुनने तथा उसके उत्तर के लिए न्यायालय से अनुरोध किया इस पर विद्वान न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि प्रतिवादी के पास आदेश 9 नियम 4 सि. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र का प्रतिवाद करने का कोई अधिकार नहीं है और अभिलेख पर उत्तर को रखे जाने का आदेश दिया।

(क) क्या विद्वान न्यायालय आदेश 9 नियम 4 , सि. प्र. सं. के अधीन एक आवेदन

पत्र को अनुज्ञात कर दिया जिसका जो विलम्ब से दोषमार्जन के लिए कोई आवेदन हए बिना वादी की अनुपस्थिति में। साक्ष्य के अन्दर होना इसको लेकर प्रकट रूप से कालवर्जित था।

(ख) क्या प्रतिवादी के पास आदेश 9 नियम 4, सि0 प्र0 सं0 के अधीन आवेदन पत्र का प्रतिवाद करने का कोई अधिकार नहीं है?

(ग) क्या एक वाद आवेदन पत्र और लिखित एक विधिमान्य मुख्तारनामें द्वारा न सम्यक रूप से प्राधिकृत किये गये एक पैरोकार द्वारा के शपथपत्र पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता

1. यह कि विधि का ऊपर वर्णित सारभूत प्रश्न, जिस पर...................का दृष्टिकोण जहां तक नही व्यक्त किया जाता है, ऐसा एक विशेष मामला एक वर्तमान रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं आ सका है और प्रतिवादियों पर संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा गारंटी प्रदत्त "विधि का समान संरक्षण" उन्हें न देकर के प्रतिकूल प्रभाव डाला जाता है तो यह समीचीन है कि प्रश्नों को उन पर विनिश्चय तथा तदनुसार इस विद्वान न्यायालय के निर्देशों के लिए आदरणीय उच्च न्यायालय ङ्केको निर्देशित किया जा सकेगा ।

**प्रार्थना**

यह अतिसादरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस आवेदन पत्र के पैरा में उठाये गये प्रश्न को उस पर विनिश्चय के लिए, आदरणीय उच्च न्यायालय द्वारा को निर्दिष्ट किया जाय।

**प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता**

**स्थान...**

**दिनांक...**